THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) and (b) The progress of the Technology Mission on Drinking Water in Villages and Related Water Management alongwith other three Missions was presented to the Parliamentary Consultative Committee attached to the Ministry of Science & Technology presided over by the Prime Minister. The Hon'ble Members who were present in the Meeting sought information on several points and clarifications were furnished. The objective of the Technology Mission on Drinking Water is to provide safe drinking water to 2.27 lakh problem villages which have been left uncovered at the beginning of the Seventh Plan by 1990. The aim would be to supply 40 litres per capita per day of potable water (in desert areas 70 litres per capita per day will be supplied taking into account 40 litres for human beings and 30 litres for cattle). This will be achieved within the constraint of Seventh Plan allocation by evolving cost effective Science and Technology mix and by taking conservation measures to ensure the supply of safe drinking water on a sustained basis.

(c) In 1986-87 more than 40,000 problem villages will be provided with safe drinking water. The target for 1987-88 is 50570 problem villages.

आवंटितियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिए जाने वाले शपथपत्र

2810. **श्री सूरज प्रसाद :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले डी०डी०ए० ने प्रत्येक एल०आई०जी० आवंटिती से सात पैरे वाले शपथपत्र मांगे और अब एक पैरा और जोड़कर आवंटितियों से आठ पैरे वाले शपथपत्र मांगे ।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार डी०डी०ए० द्वारा आवंटितियों को बिना उचित कारणों के परेशान किए जाने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश देने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां । तथापि, 8 पैरे वाले शपथपत्र केवल उन मामलों में अपेक्षित हैं जिनमें आवंटी की पहचान सत्यापित नहीं होती है ।

(ख) अतीत में कुछ धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आये थे तथा जाली दस्तावेजों के आधार पर आवंटन को रोकने के उद्देश्य से, शपथपत्र में पैरा 8 जोड़ा गया है ।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

हुडको स्कीम के अधीन फ्लैटों का आवंटन

2811. **श्री सूरज प्रसाद :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1986 में हुडको 79 स्कीम के एल०आई०जी० फ्लैटों के कम्प्यूटर द्वारा निकाले गए ड्रा में कम्प्यूटर की भूल की वजह से मांग-पत्रों में बहुत सी गलतियां रह गई थीं और इसके बावजूद आवंटितियों को पूरी राशि जमा करने को मजबूर किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या डी०डी०ए० संशोधित मांग पत्र भेज रहा है और क्या डी०डी०ए० उन आवंटितियों से वसूल की गई जुर्माना